तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जा
	न्यायालय उपखंड ... पदेन सहायक कलेक्टर (गीतापुर) प्र0 सं0 54/18 धा0 53	
20/8/18 हरदेव	पत्रावली राज स्व लोक अदालत शिविर ...पाला (मि) में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थीगण की ओर से श्री हरदेव ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ... की आराजी नं० 770/386 रकबा 3.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता व पति भज्जा को आवंटित हुई। व आराजी 785/386 रकबा 5.00 बीघा भूमि ... में स्थित मेड़ के लगी हुई आवंटन होना बताया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा जो नक्शे में तरमीम की गई है उसमें उपरोक्त 3.00 बीघा भूमी को एक ही जगह संयुक्त रूप से तरमीम नहीं कर टुकड़ों में तरमीम कर दी गई जिससे यह आभास होता है कि वादग्रस्त आवंटित भूमि का एक ही काम्पेक्ट (चक) नहीं होकर अलग-अलग जगह टुकड़ों में वाकिया होने की भ्रांति होती है। अतः नक्शे में जो गेप दर्शाया गया है उसको एक ही चक बनाया जाकर मौका स्थिति अनुसार तरमीम सही करने बाबत निवेदन किया गया है। इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से खण्डन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्र० पत्र की तरह ही में सिफारिश ... एवं खसरा ... पेश नहीं किये जाने से अर्थात आवंटन संबंधी कोई भी प्रमाण पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — पृष्ठ सं. 4 [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं दोनों को विस्तार से सुनने के पश्चात तथा प्रकरण में उपलब्ध प्र.पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, कथन आदि को अवलोकन करने के पश्चात इस न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि प्रार्थिनी को अपने कथन की अभिपुष्टि में मूल आवंटन मिसल में से खिरदगी नामा / खसरा नक्शा आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु प्रार्थिनी द्वारा पृथक से कोई दस्तावेज के साथ न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त प्रमाणों के अभाव में प्रार्थिनी को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र विरुद्ध विपक्षी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जावे फैसला शुमार हो। तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Scanned by CamScanner